लोक सुनवाई का वृत

मेसर्स लेटज़ बिल्ड एंजिकॉन, मे0 राजेन्द्र सिंह, मे0 जेएमडी सर्विसेज प्रा0 लि0, द्वारा गया जिला के **अंचल–खिजरसराय के कलस्टर गया फल्गु–05 बालू घाट, फल्गु–06 बालू घाट, फल्गु–07 बालू घाट,** ग्राम–पचलख, शांतिनगर, तिनेरी फल्गु नदी का क्षेत्रफल–297.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् दिनांक–**23.09.2020** को पूर्वाहन् 11.00 बजे नगर ब्लॉक, चन्दौती, जिला–गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1159/2020, दिनांक–24.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/1036/2020, दिनांक–21.07.2020 एवं पत्र संख्या–SIA/1(a)/1120/2020, दिनांक–22.07.2020 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक–**22.08.2020** द्वारा प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान **श्री ए. के. गुप्ता**, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बालू उत्खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था, सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से बताया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना में लगभग 2970 पौधों के रोपण की व्यवस्था है जो विकास मार्ग एवं अन्य उपलब्ध भूमि पर ग्रामवासियों व सरकारी विभागों के परामर्श से किया जायेगा तथा इनका पाँच वर्षो तक रख–रखाव किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगा। किसी भी प्रकार का अवैज्ञानिक खनन व उसके दुष्परिणामों की सम्भावना लगभग शून्य है। परियोजना के क्रियान्वयन में कम–से–क्रम 149 श्रमिकों की आवश्यकता है। खनन बेंच बनाकर किया जायेगा तथा बेंच की उँचाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर होगी।

अपर समाहर्ता (राजस्व), गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। बालू विकास के लिए एक मुख्य घटक होता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते है। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है। आपके द्वारा दिये गये सुझाव को सक्षम पदाधिकारी के अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जायेगी।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:–

1. श्री रजनीश कुमार, पिता–स्व0 राम खेलावन, ग्राम–बन्डौल, जिला–गया, द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी किनारे खाली जमीन पर वृक्षारोपण हो और धूल–कण रोकथाम की व्यवस्था की जाय।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस परियोजना में न्यूनतम 2970 पेड़ लगाये जायेगें। आवश्यकतानुसार एवं आम जनता की सहमति से पेड़ों की संख्या बढ़ाई जायेगी। पाँच साल तक पेड़ों का रख–रखाव किया जायेगा। धूल–कण रोकने के लिए दिन भर में कम–से–कम तीन बार (सुबह, दोपहर, शाम) जल छिड़काव सुनिश्चित किया जायेगा। जरूरत पड़ने पर रात्रि में भी जल छिड़काव किया जायेगा।

2. श्री मुन्द्रिका सिंह, पिता–श्री शिवनंदन सिंह, ग्राम–लोदीपुर, प्रखण्ड–खिजरसराय, जिला–गया द्वारा पूछा गया कि Bench Mining की विस्तृत जानकारी दें।

उत्तर– पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि Bench का अनुपात 1.5:6 मीटर होगा। 1.5 मीटर गहराई एवं 6 मीटर चौड़ाई होगी। खनन का अधिकतम गहराई 3 मीटर होगी या भू–जल तल से उपर तक ही किया जायेगा। नदी के चौड़ाई का 10 प्रतिशत भाग छोड़ा जायेगा।

3. श्री परमानन्द सिंह, पिता–श्री दिलकेश्वर सिंह, ग्राम–इस्माइलपुर, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खादान से आवागमन की जाने वाली वाहनों के लिए रास्ते पर जल का छिड़काव किया जाय तथा उससे उत्पन्न खराब होने वाली रोड को मरम्मत किया जाय।

4. श्री ऋषि रंजन, पिता–श्री गुंजन कुमार, ग्राम–तिनेरी, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू उत्खनन से संबंधित रोजगार आस–पास के ग्रामीणों को ही दिया जाय।

उत्तर– पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में 149 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। रोजगार में क्षेत्रीय लोंगो को ही वरीयता दी जायेगी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढूलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ–ही–साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत् नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढूलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने–जाने के समय या भीड़–भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगें एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2–3 मी0. ही की जायेगी। उन्होने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा ज़ायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। पट्टाधारक सुनिश्चित करें कि पर्यावरण पर गलत कुप्रभाव नहीं हो। स्थानीय लोग को योग्यता के अनुसार कुशल एवं अकुशल रोजगार दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावे वाहन चालक एवं मशीन चलाने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

अपर समाहर्ता (राजस्व)
गया

उपस्थिति सूची

मे० लेटज़ बिल्ड एंगिकान, मे० राजेन्द्र सिंह, मे० जे.एम.डी. सर्विसेज प्रा० लि० द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-खिजरसराय के फल्गु नदी पर घाट-05 फल्गु घाट-06, फल्गु घाट-07 से बालू खनन करने हेतु नगर ब्लॉक, चन्दौती, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 23.09.2020 (बुधवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मनोज कुमार	अपर समाहर्त्ता, गया	[signature] 23/9/2020
2.	आशीष कुमार गुप्ता, सहायक पदाधिकारी	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	आशी० 23-9-20
3.	रश्मि रंजना	AP Colony Gaya	[signature]
4.	डॉ० घनश्याम झा, प्र. नि., खा. एवं भू., गया	मोहनपुर, गया	[signature] 23-09-20
5.	[illegible], सहायक पर्यावरण अभियंता	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना	[signature] 23.9.20
6.	Dr. Jatin K. Srivastava, Consultant	B-225, Rada Ji Puram Lucknow-226017	[signature]
7.	[illegible] प्रसाद	जगरनाथपुर	[illegible] प्रसाद
8.	अमित कुमार	[illegible] मानपुर	[signature]
9.	रजनीश कुमार	मंडीह	रजनीश कुमार
10.	विकास कुमार	तिलेरी	विकास कुमार
11.	परमानन्द सिंह	खिजरसराय	परमानन्द सिंह
12.	मुनिकेश सिंह	खिजरसराय [illegible]	[signature]
13.	कौशल शर्मा	[illegible]	कौशल शर्मा
14.	संजय कुमार	खीजरसराय	संजय कुमार

15.	Shahil Kumar	tineri	[signature]
16.	Manish Kumar [illegible]	Chunaliti	मनीष कुमार
17.	Abhijit Kumar	bilubigha	Akj.
18.	Ranjeet Kumar	Khirsarai	Ranjeet Kumar
19.	mukesh Kumar	Khizersarai	mukesh.B
20.	monty Kumar	Khizesarai	monty kumar
21.	Bhola Yadav	Khizersarai	Bhola
22.	Ravi kumar	Khizersarai	Ravi Kumar
23.	Gunjan Kumar	Bhesikh	गुंजन कुमार
24.	Rishi Ranjan	Bhaikh	Rishi Ranjan
25.	Avinash Kumar	Uchaulu	[signature]
26.	अनिल सिंह	पाना	अनिल सिंह
27.	सुधीर कुमार	श्रीपुर	Sud
28.	निरज सिंह	नौगाहल उत्क्रमित पचलोखर	निरज सिंह
29.	मामीन्द्र कुमार	पचलखर	मामीन्द्र कुमार
30.	Sanjay Kum.	Shanti Nagar	[signature]
31.	Sarjeet Kumar	pachalakh	[signature]
32.	sushil kumar	Retna	[signature]
33.	RAJEEV KUMAR	patna.	Rajeev
34.	Kaushal Kishor	patna	[signature]

35.	Md. Hasim	Marachak	Hasim
36.	Madal Kumar	Murachak	[illegible]
37.	Govind Sharma	Khizorsarai	Govind Sharma
38.	Md. Irshad Alam	Khizar Sarai	I. Alam
39.	Asif Jamil	Khizarsarai	Asif
40.	Arvind Sharma	Khizarsarai	[illegible]
41.	Rahul Kumar	Chirek	Rahul Kumar
42.	Md. Shahid	Palipur	Md. Shahid
43.	Ramesh Kumar	Shastinagar	Ramesh
44.	Bittu kr. Singh.	Shasti Nagar	Bittu
45.	Anil Kumar Shaw	Patchak	Anil Kumar Sh
46.	Md Irsan	Chirek	Md Irs
47.	Abhinav kumar.	Simra, P.O - Shreepur.	Abhinav.
48.	राजेश कुमार	परतकार	राजेश कुमार
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			